न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 1435/2018
दायरा तिथि : 07.08.2018
फैसला तिथि : 25-06.2019

प्रार्थी :–
दुदाराम पुत्र पुराजी जाति सिरवी (जणवा चौधरी)
निवासी डूँगली, तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

ब ना म

अप्रार्थीगण :–

1. केसाराम पुत्र पूरारामजी
2. अमराराम पुत्र पूरारामजी
3. डूँगाराम पुत्र पूरारामजी
4. स्व0 हरनाथराम पुत्र पूरारामजी के कायम मुकाम वारिशः–
   4/1 मनाराम पुत्र हरनाथराम
   4/2 सकाराम पुत्र हरनाथराम
   4/3 कन्या पुत्री हरनाथराम
   4/4 तीजो पुत्री हरनाथराम
   4/5 सोनीबाई पत्नि स्व0 हरनाथराम
   तमाम जातिगण सिरवी (जणवा चौधरी) निवासीगण डूँगली तहसील बाली
5. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थिति :–

1. श्री गणपतलाल चौधरी — अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री अमृत परिहार — अभिभाषक अप्रार्थी सं–01 की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी.पीसी.

–:: आदेश ::– दिनांक 25.06.2019

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के साथ उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. विरुद्ध अप्रार्थीगण पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा डूँगली पटवार हल्का सेवतलाव तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 150, 151, 152, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा–07 कुल रकबा 20.02 हैक्टर की भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के संयुक्त सह खातेदारी में दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि का नाप एवं सीमांकन कर यानि बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस आज दिन तक बंटवाडा नहीं किया गया हैं। अनुमान से सभी भाई पांचवे–पांचवे हिस्से पर खेती करते आ रहे हैं। बिना बंटवाडा के प्रत्येक पक्ष का वादग्रस्त भूमि के प्रत्येक इन्च भूमि पर हक अधिकार आता हैं। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि को बिना बंटवाडा किसी भी एक सख्स को अपने हिस्से की भूमि या अपने हिस्से मेंसे विशेष भू0भाग को बेचान का अधिकार नहीं हैं। अप्रार्थी संख्या–01 को भूमि शामलात में होने के तथ्य की जानकारी होते हुये अप्रार्थी संख्या 01 अपनी मन मर्जी से वादग्रस्त भूमि का बेचान बिना बंटवाडा के किसी अजनबी को करने पर उतारू हैं। जिससे वादी ने विभाजन एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है, जिसके निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान् यदि अप्रार्थी संख्या–01 भूमि किसी अनजबी व्यक्ति को बेचने में सफल हो गया तो मौके पर खरीदकर्ता द्वारा दखल करने से विवाद वढेगें। इन तथ्यो के आधार पर प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से अप्रार्थी संख्या–01 के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनो की पुष्टि में शपथ पत्र व वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 02 से 04 बावजुद नोटिस तामील के न्यायालय में दिनांक 18.09.2018 को अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। अप्रार्थी संख्या–01 की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने जवाब पेश किया। अप्रार्थी संख्या–05 तहसीलदार, बाली के विरुद्व कोई अनुतोष नहीं होने से अप्रार्थी संख्या–01 के अधिवक्ता द्वारा जवाव पेश करने के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि का मौके पर नाप व सीमांकन के आज दिन तक बंटवाडा नहीं हुआ है, जिसके लिये प्रार्थी द्वारा विभाजन का वाद एवं सार्वकालिक निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा हैं, जिसके निस्तारण में समय लगेगा। अप्रार्थी संख्या–01 को इसकी जानकारी होते हुये बिना विभाजन के ही संयुक्त सह खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि किसी अजनबी व्यक्ति को करने पर उतारू है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली - पाली (राज.)

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

पेज लगातार..02

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 1435/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

यदि अप्रार्थी संख्या–01 अपने मनसुबे में सफल हो गया तो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जावेगा। अतः न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 07.08.2018 को जारी एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को वाद के निर्णय तक पुख्ता करते हुये अप्रार्थी संख्या–01 को बिना विभाजन के किसी विशेष भू0 भाग व हिस्से की भूमि का बेचान करने से रोका जावे। विद्ववान् वकील प्रार्थी की दलीलो का खण्डन करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 श्री अमृत परिहार द्वारा बहस में अपने जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि मौजूदा में संयुक्त भूमि होने से कानूनन सह खातेदारान के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। वादग्रस्त कृषि भूमि का हिस्सो अनुसार विभाजन के फलस्वरूप जो भू0भाग प्रार्थी के 1/5 हिस्सा की एवज में एवं अप्रार्थी संख्या–01 केसाराम को निहित 1/5 हिस्से की एवज में स्वतंत्र तौर से भूमि रखी जावे उस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अप्रार्थी संख्या–01 को कोई आपत्ति नहीं हैं एवं इसी अनुसार प्रार्थी के विरूद्व भी स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक हैं। दोराने वाद सह खातेदार के विरूद्व सह खातेदार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं एवं विशेष तौर से कोई सह खातेदार अन्य सह खातेदारान् को स्वयं के हिस्से की भूमि अथवा हिस्से मेंसे विशेष हिस्से की भूमि बेचान हस्तान्तरण करने हेतु नहीं रोक सकता हैं। यह बात सही हैं कि एक सह खातेदार जोत विभाजन के अभाव में विशेष भू भाग का (पडौस डालकर) बेचान हस्तान्तरण नहीं कर सकता है जो अप्रार्थी नहीं करने हेतु स्वयं को पाबन्द करता हैं। कानूनन सह खातेदार को उसका हिस्सा की भूमि बेचान हस्तान्तरण करने से रोकने से राज्य सयरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व (स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क) की क्षति होती हैं। जिससे अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी एक पक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश को निरस्त कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्ववान् वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा निम्न कानूनी उद्धहरण पेश किये गयेः–

1. **R.R.D.1977** Ram Swaroop V/s Mangu पेज 470 से 473
2. **R.R.T 2013 (2)** Kiran & Ors. V/s Ajay Kumar & Anr. पेज 1108 से 1109
3. **R.R.T 2011-12 (Supp.)** Pukharam V/s Pokarram. पेज 192 से 195
4. **R.R.T 2010 (2)** Ramkarm. V/s Smt. Ghawari पेज 1392 से 1395

तथा इन कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किये जाने की दलील दी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन से हस्तगत् प्रकरण में यह प्रमाणित हैं कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि ग्राम डूँगली के खसरा नंबर 150, 151, 152, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा–07 कुल रकबा 20.02 हैक्टर के संबध में उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं, वह भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त सह खातेदारी की भूमि हैं। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में विधि के प्रावधानो अनुसार किसी सह खातेदार द्वारा दूसरे सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं की जा सकती है। विद्ववान् वकील अप्रार्थी श्री अमृत परिहार द्वारा जो कानूनी उद्धहरण प्रस्तुत किये गये है, इन कानूनी उद्धहरणो में प्रतिपादित सिद्वान्तो के अनुसार रेकर्डेड सह खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी सह खातेदार है तो अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती तथा उनके हिस्से को विक्रय करने से अवरोधित नहीं किया जा सकता। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपुरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में उक्त प्रकरण में बनने नहीं पाये जाते हैं। जससे प्रार्थी द्वारा ग्राम डूँगली के खसरा नंबर 150, 151, 152, 197, 198, 199, 200 कुल खसरा–07 कुल रकबा 20.02 हैक्टर के संबध में प्रस्तुत उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता हैं। उक्त आदेश के पश्चात् प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2018 को पारित एक पक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी हो जावेगी। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल राजस्व वाद संख्या 40/2018 अनवान दुदाराम बनाम केसाराम वगैरा अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के संलग्न हो।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
आर.ए.एस
उप-खण्ड अधिकारी, बाली
पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

आदेश आज दिनांक 25-6-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner